

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (प्राधीण)।

मा :- 23/2021

राधा बनाम रामनारायण

क्र आज्ञा गर्भवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी को सायंकाल 8 बजे तक बार बार आवाज लगाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आये न ही वादी की ओर से अन्य कोई पैरवी करने हेतु हाजिर अदालत आये। अतः दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	